(86)

## उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की तृतीय बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक– 24.12.2014 को राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून स्थित उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में मा0 मंत्री आवास/अध्यक्ष उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी।

**उपस्थिति–**

1. श्री डी0एस0 गर्ब्याल, सचिव, आवास एवं नगर विकास/मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2. डा. आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, प्रभारी सचिव/उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण।
3. डा0 एम0सी0 जोशी, सचिव, नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. डा0 वी0 षणमुगम, अपर सचिव, आवास एवं नगर विकास/अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
5. श्री एस0के0 पंत, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. श्री एस0के0 द्विवेदी, अपर निदेशक पर्यटन।
7. श्री गिरीश गुणवंत, सचिव, दून–घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

**विशेष उपस्थिति–**

1. डा0 तन्जीम अली, मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण।
2. श्री एन0 एस0 रावत, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
3. श्री वी0पी0 शर्मा, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय की अनुमति के पश्चात तृतीय बोर्ड बैठक प्रारम्भ की गयी। जिसमें द्वितीय बैठक में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन पर विस्तार से विचार–विमर्श के उपरान्त कृत कार्यवाही पर निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन पर सहमति एवं अनुमोदन दिया गया।

1. बोर्ड के द्वारा गत बैठक के विषय क्रमांक–01 में लिये गये निर्णय के अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की गयी। अपर निदेशक पर्यटन द्वारा यह तथ्य बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया कि टिहरी में पर्यटन महायोजना लागू हो चुकी है और कुछ क्षेत्र टिहरी विकास क्षेत्र पर्यटन महायोजना में आ गया है, इसलिए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया

कि इस सम्बध में पर्यटन विभाग पर्यटन अधिनियम अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्र का मानचित्र प्रस्तुत करें ताकि उक्त से पृथक के शेष क्षेत्र जो टिहरी विकास क्षेत्र अन्तर्गत पड़ता है, को यथावत् टिहरी विकास क्षेत्र के रूप में रखा जाये अथवा इसको निकटवर्ती धनोल्टी क्षेत्र, जो दूनघाटी क्षेत्र में पड़ता है, अन्तर्गत सम्मिलित किया जाये। इसी प्रकार मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण एवं दून घाटी विशेष विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये एक एकीकृत विकास क्षेत्र के निर्धारण के सम्बन्ध में पुनः आंकलन करते हुए उक्त एकीकृत विकास हेतु नये क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून तथा सचिव, दून घाटी विशेष विकास प्राधिकरण की एक समिति का गठन किया जाय। यह समिति विचार–विमर्श उपरान्त औचित्य सहित प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. वरिष्ठ नियोजक द्वारा गत बैठक में विषय क्रमांक–02 के अनुपालन में विकास क्षेत्रों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये, जिसमें जनपद नैनीताल अन्तर्गत हल्द्वानी– काठगोदाम, रामनगर तथा उधमसिंहनगर अन्तर्गत विद्यमान 04 विनियमित क्षेत्रों क्रमशः किच्छा, रूद्रपुर, बाजपुर एवं क़ाशीपुर को विकास क्षेत्र घोषित करने तथा समूचे उधमसिंहनगर अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–74 पर स्थित नगरपालिकायें/नगर पंचायत क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजमार्ग–74 व इसके दोनों ओर एक किलोमीटर की परिधि अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये प्रस्ताव दिये गये। निर्णय लिया गया कि उक्तानुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जायें।

3. बोर्ड के द्वारा गत बैठक के विषय क्रमांक–03 में लिये गये निर्णय के अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की गयी। मोनोग्राम के विभिन्न विकल्प, जो कि मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एवं आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया, को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत विकल्पों के परिकल्पना एवं डिजायन को बोर्ड द्वारा सराहना की गयी। राज्य प्राधिकरण द्वारा मोनोग्राम के विभिन्न विकल्प बनवाने में किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया।

4. बोर्ड के द्वारा गत बैठक के विषय क्रमांक–04 में लिये गये निर्णय के अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की गयी। शीघ्र भूमि चयनित करने के सम्बन्ध में सचिव दूनघाटी विशेष विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत गया कि सम्भवतः एक एकड़ राजकीय भूमि उपलब्ध न हो पाए, इसलिए भूमि के क्षेत्रफल का पुनः आंकलन कर न्यूनतम आवश्यक भूमि प्राप्त की जा सकती है तथा देहरादून में आई0टी0 पार्क में भी कार्यालय हेतु भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।

5. बोर्ड के द्वारा गत बैठक के विषय क्रमांक–05 में लिये गये निर्णय के अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की गयी। इस योजना हेतु शीघ्र भूमि चयनित करनें को बोर्ड द्वारा निदेशित किया गया। उपाध्यक्ष मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा सुझाव दिया गया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय विश्लेषण एवं हडको से ऋण प्राप्त करने तथा योजना की बॉयविलिटी इत्यादि हेतु म0दे0वि0प्र0 के पीएमयू सेल में तैनात प्रोजेक्ट मैनेजर श्री राजीव रंजन को दायित्व दिया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

6. बोर्ड के द्वारा गत बैठक के विषय क्रमांक–06 में लिये गये निर्णय के अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की गयी। शीघ्र पी0एम0यू0 सेल गठित कर योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जाए।

✓ 7. उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उ0प्र0 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अधिसूचित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशाोधन) विधेयक, 1973 के अधीन अधिसूचित करने हेतु शीघ्र अधिसूचना जारी किया जाए।

✓ 8. उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास विधेयक, 1973 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकरणों को पूर्व की तरह कार्यशील रहने के सम्बन्ध में शीघ्र अधिसूचना जारी किया जाए।

✓ 9. गुजरात सरकार के लैंड पुलिंग पॉलिसी के प्ररिपेक्ष्य में उत्तराखण्ड में भी यथासंशोधन नीति का प्रस्ताव मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा शासन को प्रेषित किया जाए।

✓ 10. उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विनियमित क्षेत्रों में बायलॉज का स्थानीय लोगों को सम्भवतः कम ज्ञान हो पाता है, इसलिए आवश्यक होगा कि मण्डल स्तर पर विनियमित क्षेत्रों में लागू महायोजना एवं भवन उपविधि के व्यापक प्रसार हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित की जाये। प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर सराहना व्यक्त करते हुए निर्णय लिया गया कि संशोधित भवन उपविधि अनुमोदन के पश्चात् नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के खण्डीय कार्यालय स्तर पर एक कार्यशाला आहूत की जाये जिसमें विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारियों एवं अवर अभियन्ताओं की उपस्थिति हो, ताकि इस विषय में प्राधिकारियों को Sensitise किया जा सके।

(कार्यवाही–आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन/राज्य विकास प्राधिकरण/नग्रानि/साडा/एमडीडीए)

क्रमांक–01

विषय– **हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण का मास्टर प्लान बनाये जाने के संबंध में।**

निर्णय– नगर नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि रूड़की विकास क्षेत्र के अतिरिक्त भू–भाग को सम्मिलित करते हुये भौतिक सर्वे कार्य सम्बन्धित फर्म द्वारा पूर्व स्वीकृत दर पर कराये जाने के सम्बन्ध में हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है। प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है। हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा की गयी अद्यावधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में बैठक में अवगत न होने पर निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर आगामी बोर्ड बैठक में की गयी कार्यवाही से अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही–उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास
प्राधिकरण/नग्रानि/एचआरडीए)

क्रमांक–02

विषय– **देहरादून महायोजना 2005–2025 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा महायोजना क्षेत्र में जोनल प्लान हेतु निर्धारित जोन–5 में बहुमंजिला आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण पर अस्थाई प्रतिबन्ध।**

निर्णय– बोर्ड बैठक में देहरादून महायोजना के अन्तर्गत जोनल प्लान हेतु निर्धारित जोन के जोन संख्या–5 में नये व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत करने पर अस्थायी प्रतिबन्ध लगाये जाने पर गहनता से विचार–विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा विधिक एवं विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जब तक इस जोन का जोनल प्लान लागू नहीं होता, तब तक महायोजना में निर्धारित जोन–05 में व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति पर अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्ध लगाते हुये मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण को तद्नुसार निर्देशित किया जाये तथा मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण 03 माह के अन्दर जोन प्लान को अन्तिम रूप देते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास
प्राधिकरण /एमडीडीए)

क्रमांक–03

**विषय– राज्य प्राधिकरण का बजट।**

**निर्णय–** बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का बजट को अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

क्रमांक–04

**विषय– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय के संचालन हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।**

**निर्णय–** बोर्ड द्वारा कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

क्रमांक–05

**विषय– राज्य प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्र के वाह्य क्षेत्रों में वृहद योजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

**निर्णय–** स्थानीय प्राधिकरणों/विशेष विकास क्षेत्र प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों के वाह्य क्षेत्रों में वृहद योजनाओं की स्वीकृत की कार्यवाही राज्य प्राधिकरण के माध्यम से स्वीकृति जारी करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदन किया गया। तद्नुसार विधिक परीक्षण कराकर अधिसूचना जारी कर कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही–आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन/उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/नग्रानि)

क्रमांक–06

**विषय– मसूरी में फ्रिज जोन की रिपोर्ट के सन्दर्भ में।**

**निर्णय–** मसूरी में फ्रिज जोन में निर्माण हेतु प्रस्तावित मानक हेतु गठित कमेटी द्वारा विचाराधीन प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में विस्तार से चर्चा की गयी। कमेटी की आख्या शासन को प्रस्तुत करने के उपरान्त

तद्नुसार भवन उपविधि में संशोधन की कार्यवाही करते हुये प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/नग्रानि/एमडीडीए)

क्रमांक–07

**विषय– प्रदेश में विभिन्न महायोजनाओं की प्रगति के संबंध में।**

**निर्णय–** प्रदेश के विभिन्न महायोजना की प्रगति के सम्बन्ध में अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथक से समीक्षा कर विवरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/नग्रानि)

क्रमांक–08

**विषय– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण तथा स्थानीय प्राधिकरणों के प्रस्तावित ढाँचे के संबंध में।**

**निर्णय–** बोर्ड ने राज्य प्राधिकरण के ढांचे के सम्बन्ध में शीघ्र समिति का गठन करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही–आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन/ उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु–

निर्णय–

1. हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण में पिरान कलियर को हरिद्वार रूड़की विकास क्षेत्र में जोड़ने हेतु नगर नियोजन विभाग द्वारा विस्तृत अध्ययन कर प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
2. जिला चम्पावत अन्तर्गत टनकपुर, बनबासा नगरीय क्षेत्र को विकास क्षेत्र अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन

विभाग/नगर नियोजक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को संयुक्त रूप से निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन/ राज्य विकास प्राधिकरण/नग्रानि)

उपरोक्त निर्णय के उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव, आवास/मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

**संख्या– 35/उडा–24/बोर्ड बैठक/2014, दिनांक– 24.12.20104**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –**

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2. निजी सचिव, सचिव, आवास विभाग/मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
3. निजी सचिव, अपर सचिव, आवास विभाग/अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
4. बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगण।
5. गार्ड फाइल।

(डा0 वी0 षणमुगम)
अपर सचिव, आवास/अपर मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण